न्यायालय, श्री कुमार कौशल किशोर, अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।
निर्मली थाना काण्ड संख्या–66 / 2025

	अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–637 / 2026 1. ललित कुमार उर्फ दिलीप कुमार, उम्र–26 वर्ष, पिता–रामाधीन चौपाल, साकिन–दिघिया, वार्ड नं0–5 थाना–निर्मली, जिला–सुपौल.....आवेदक अभियुक्त। बनाम् बिहार सरकार.....विपक्षी।	
06.07.2026	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक / अभियुक्त **ललित कुमार उर्फ दिलीप कुमार** की ओर से दाखिल किया गया है, जो निर्मली थाना कांड संख्या–66 / 2025 धारा–**126(2), 115(2), 109, 74, 303(2), 352, 351(2), 3(5)** भारतीय न्याय संहिता के अधीन दर्ज काण्ड में गिरफ्तारी के भय से आशंकित है एवं जिनका यह वाद विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, श्री पंकज कुमार, वीरपुर के न्यायालय में लंबित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री के0 के0 सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजेश कुमार सिंह को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वे निर्दोष हैं तथा उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व कोई दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र न तो श्रीमान् के न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उभय पक्ष के मध्य पलटा वाद निर्मली थाना काण्ड संख्या–68 / 2025 दर्ज है, जो एस0सी0 / एस0टी0 से संबंधित है। आवेदक अभिुक्त के द्वारा शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण अंग पर हमला नहीं किया गया है तथा चोरी का आरोप अतिरिक्त है एवं जख्म को हेराफेरी करके बनाया गया है। आवेदक अभियुक्त आरोपी व्यक्तियों के श्रेणी में नहीं आता है। आवेदक अभियुक्त धारा–482 बी0एन0एस0एस0 के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुये निवेदित किये है कि पारा–63 में जख्म प्रतिवेदन है जो सर पर है और गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक अभियुक्त के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने योग्य है।	लगातार

न्यायालय, श्री कुमार कौशल किशोर, अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।
निर्मली थाना काण्ड संख्या–66/2025

लगातार 06.07.2026	अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि, सूचिका रेखा देवी दिनांक 09.04.2025 को रात में लगभग 9:30 बजे अपने आंगन में खाना बना रही थी, तभी आवेदक अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण लाठी, डंडा, लोहे के रॉड से लैस होकर अचानक आये और गंदी–गंदी गाली देने लगे, जिसका विरोध करने पर सहअभियुक्त रामधीन चौपाल ने अन्य सहअभियुक्तों को उसे पकड़कर मार डालने और नदी में फेंकने के लिए कहा, तब सहअभियुक्त रामरुप चौपाल और मोहन चौपाल ने उसका बाल पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया और मुक्का व थप्पड़ से मारपीट करने लगे, जिससे वह अधमरी हो गई, तभी उसका पति, कुसुमलाल साह, उसका भाई छेदी साह और बेटा श्रीकांत साह, पुत्री रूबी कुमारी बचाने आये तो अभियुक्तगण ने चारों तरफ से घेर लिया और ताबड़तोड़ मारपीट किया। जिसमें उनके पति भी घायल होकर जमीन पर गिर गये, तभी सहअभियुक्त कुन्दन कुमार उनकी पुत्री रूबी कुमारी को बाल पकड़कर जमीन पर घसीटने लगा वो लात–मुक्का से मारपीट करने लगा, मारपीट के दरम्यान सहअभियुक्त रामरूप चौपाल उनकी पुत्री के सीने पर चढ़कर जान मारने की नियत से गला दबाने लगा, तभी आवेदक अभियुक्त लोहे के रॉड से उनके भाई श्रीकांत साह को मारने लगा, जिसमें उनके भाई घायल होकर जमीन पर गिर गये, घायल अवस्था में रामधीन चौपाल उनके भाई के सीने पर चढ़कर जान मारने की नियत से गला दबाने लगा, मारपीट के दरम्यान ही सहअभियुक्ता उषा कुमारी ने 7500 रुपये मूल्य की चांदी की पायल छीन ली और अभियुक्ता शिव देवी ने 2000 रुपये मूल्य की चांदी की चेन छीन ली तथा सहअभियुक्त कुन्दन कुमार ने रूबी कुमारी से 2000 रुपये मूल्य की चेन छीन लिये। ग्रामीणों ने आकर पीड़िता और उसके पति, भाई और बेटी को बचाया और उन्हें अनुमंडल अस्पताल, निर्मली लाया, जहां से उसके पति और भाई को बेहतर ईलाज के लिए सदर अस्पताल, सुपौल रेफर कर दिया। अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं तथा प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त के द्वारा अपने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका एवं उनके पति, भाई एवं उनके बेटी के साथ मारपीट कर जख्मी करने का आरोप है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–2 में वादिनी रेखा देवी उर्फ रखिया देवी का पुनःबयान है, इन्होंने अपने	

न्यायालय, श्री कुमार कौशल किशोर, अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।
निर्मली थाना काण्ड संख्या–66/2025

लगातार 06.07.2026	बयान में प्राथमिकी घटना का समर्थन किये हैं। कंडिका–9, 10 एवं 11 में साक्षियों ने मारपीट की घटना का समर्थन किया है। कंडिका–63 में जख्मी छेदी साह का जख्म प्रतिवेदन का उल्लेख है, जिसमें डॉक्टर ने कठोर एवं कुंद पदार्थ से कारित होना बताया है और जख्म संख्या–1 गंभीर प्रकृति का है। अभिलेख अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–993/2025 खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदक अभियुक्त पर लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है तथा आवेदक अभियुक्त का वाद अभी अनुसंधानन्तर्गत है। अतः वाद की तथ्यों एवं परिस्थितियो के मद्देनजर तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्त **ललित कुमार उर्फ दिलीप कुमार** का अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है। तद्नुसार अग्रिम जमानत आवेदन निस्तारित किया जाता है। लेखापित ह0/– **(कुमार कौशल किशोर)** अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।	